छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़

शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण कमांक 792/2007</u>

1. **श्री तेजराम आ0 श्री हीराधर सारथी,** - *अपीलार्थी*
   ग्राम- डोंगीतराई, विकासखण्ड- रायगढ़
   जिला-रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी/सरपंच,* - *प्रति अपीलार्थी*
   ग्राम- डोंगीतराई, विकासखण्ड- रायगढ़
   जिला-रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

//<u>आदेश</u>//

(दिनांक 11 जनवरी, 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री तेजराम ने सरपंच, ग्राम पंचायत- डोंगीतराई के समक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए दिनांक 21.10.2005 को आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर समयावधि में जानकारी नही मिलने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपील दिनांक 04.12.2006 को की गई, जिसका समयावधि में निराकरण नही होने के कारण आयोग के समक्ष दिनांक 20.08.2007 को द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई ।

2/ प्रकरण के रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को का श्रवण किया गया । प्रकरण में प्रति अपीलार्थी सरपंच को पांच हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका उत्तर उनके द्वारा दिनांक 22.12.2007 को प्रस्तुत किया गया । उत्तर में उनके द्वारा यह बताया गया कि आवेदन के साथ शुल्क नही पटाया गया था और दिनांक 10.05.2007 को शुल्क पटाया, उसके बाद जानकारी देने का प्रयास किया गया तो अपीलार्थी घर पर नही मिलने के कारण नकल नही दी जा सकी और परिवार वालों से जानकारी मिली की किसी अन्य महिला को भगाकर ग्राम में नही रह कर किसी अन्य ग्राम में रहते है तथा जानबुझकर परेशान करने की नियत से आवेदन प्रस्तुत किया है । धारा-80 की नोटिस का उत्तर सरपंच द्वारा इसलिए नही दिया गया कि शासन द्वारा धारा-80 का नोटिस दिया जाता है, अत: इसका उत्तर देना उचित नही समझा । यद्यपि अपीलार्थी ने यह शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि वे अन्य ग्राम में बिलकुल नहीं रहते है और डोगीतराई में रहते है, किन्तु फिर भी इस संबंध में कोटवार द्वारा यह प्रमाण दिया गया था और पंचनामा भी बनाया गया था, उस पर अविश्वास करने का कोई कारण नही है । अपीलार्थी द्वारा इस संबंध में कोटवार का शपथ पत्र

प्रस्तुत किया गया है, अतः वर्तमान प्रकरण में यह जांच का विषय है कि कोटवार ने प्रमाण गलत दिया है अथवा शपथ पत्र गलत दिया है । अतः इस संबंध में कलेक्टर, रायगढ़ को यह निर्देश दिये जाते हैं कि इसकी विस्तृत जांच कराई जावे और सरपंच, सचिव अथवा कोटवार जिसकी भी त्रुटि पाई जावे, उसके विरूद्ध आवश्यक विधि अनुसार कार्यवाही करावे । चूंकि जानकारी दी जा चुकी है, अतः अब अन्य कोई कार्यवाही आवश्यक प्रतीत नही होती है, इसलिए जारी किया गया कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है ।

3/ अतः उपरोक्त निर्देशों के साथ अपील का निराकरण किया जाता है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त